भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +97

सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

महामारी के उपरांत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

+97 प्रो. सौगात राय:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वैश्विक महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो देश में पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब तक कितनी छूट की घोषणा की गई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी आजीविका का स्रोत बनने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जिम्मेदार/सतत पर्यटन की अपार क्षमता को स्वीकार किया है। इस संबंध में मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i). पर्यटन उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों के लिए भारत के लिए सतत पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद यह मानदंड विकसित किए गए हैं।

(ii). सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति और रूपरेखा का मसौदा तैयार किया है।

(iii). विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत होटलों का वर्गीकरण करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं, जिनमें मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), वर्षा जल संचयन प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, प्रदूषण नियंत्रण, प्रशीतन और वातानुकूलन के लिए उपकरण गैर-क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी), ऊर्जा और जल संरक्षण के उपाय आदि की शुरूआत जैसे विभिन्न पर्यावरण के अनुकूल उपायों को होटलों द्वारा शामिल किया जाना आवश्यक है।

(iv). यह निर्धारित किया गया है कि पहाड़ी और पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में होटल भवनों की वास्तुकला टिकाऊ और ऊर्जा कुशल होनी चाहिए और जहां तक संभव हो स्थानीय लोकाचार के अनुरूप होनी चाहिए और स्थानीय डिजाइन और सामग्री का उपयोग करना चाहिए।

(v). पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूअर ऑपरेटरों को सर्वोत्तम पर्यावरण और विरासत संरक्षण मानकों के अनुरूप, सतत पर्यटन प्रथाओं को पूरी तरह से लागू करने के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक और सतत पर्यटन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(ख) और (ग) : महामारी से पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इस क्षेत्र का फिर से जीर्णोद्धार करने के निमित्त सरकार द्वारा की गई कार्रवाई **अनुबंध** में दी गई है:

(घ) और (ड़) : 2019 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या 10.93 मिलियन थी जो 2020 में घटकर 2.74 मिलियन रह गई। 2019 के दौरान भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2321982663 थी जो घटकर 610216157 हो गई।

देश में कोविड की स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुए और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए लागू स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड से संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन, यह निर्णय लिया गया कि पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने के इच्छुक सभी विदेशी नागरिकों को ई-पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा पर चार्टर्ड उड़ानों के माध्यम से (केवल समूह पर्यटन के लिए); 15 अक्टूबर 2021 से वीजा/पर्यटक वीजा और पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने के इच्छुक सभी एकल विदेशी नागरिकों को 15 नवंबर 2021से, ई-पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा पर भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, पर्यटन के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिकों के पर्यटक वीजा/ई-पर्यटक वीजा का उपयोग ऐसे वीजा/इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) जारी होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर करना होगा। नया पर्यटक वीजा/ई-पर्यटक वीजा भारत में प्रवेश की तारीख से 30 दिनों तक एकल प्रवेश के लिए वैध रहेगा। विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में देश-विशिष्ट छूट नहीं दी गई है।

****

अनुबंध

महामारी के उपरांत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम के सम्बन्ध में दिनांक 29.11.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +97 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में

विवरण

भारतीय होटल उद्योग को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा घोषित वित्तीय और राहत उपाय

i. सरकार ने आत्म निर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से एमएसएमई के लिए 3.00 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक स्वचालित मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण में 4 साल की अवधि और 12 महीने का स्थगन होगा।

ii. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले संगठनों और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम हैं, के लिए तीन महीने के लिए भविष्य निधि अंशदान माफ कर दिया ।

iii. आत्मानिर्भर भारत पैकेज के तहत कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि अंशदान को मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

iv. टीसीएस को अक्टूबर 2020 तक के लिए आस्थगित कर दिया गया है।

v. 5 करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगित, बाकी 9% की दर से दंडात्मक ब्याज।

vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को देखते हुए अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत दी है।

vii. भारतीय रिजर्व बैंक ने सावधि ऋणों पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया।

viii. सरकार ने पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए 31.3.2021 को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 की घोषणा की है। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और अवकाश तथा खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया था। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 30.06.2021 तक या 3.00 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी किए जाने तक बढ़ा दिया गया था। योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30.09.2021

तक बढ़ा दी गई थी। योजना के तहत जारी गारंटियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

पर्यटन और आतिथ्य योजना के अनुसार 30.09.2021 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)के आंकड़े			
उद्योग का स्वरूप	**के तहत समर्थन**	**जारी गारंटियों की संख्या**	**योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों के मद में जारी गारंटियों की राशि (करोड़ रुपये में)**
यात्रा और पर्यटन	ईसीएलजीएस 3.0	2,732	1,371.62
आतिथ्य	ईसीएलजीएस 3.0	3,160	5,430.96
होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन	ईसीएलजीएस 2.0	218	3,403.90
पर्यटन, होटल और रेस्तरां	ईसीएलजीएस 1.0	96,219	3559.43
कुल		1,02,329	13,765.91

ix. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है। इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है कि राशि एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

x. 28 जून 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने और विकास और रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।

xi. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।

xii. कोविड-19 के बाद पुनः प्रवर्तन की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी / होमस्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।

xiii. होटल, रेस्तरां, बीएंडबी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड-19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों / एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साथी (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

xiv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) की योजना के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है।

xv. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणीकरण की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/ पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/ पुनः वर्गीकरण समाप्त हो गई थी/ समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

xvi. विदेश में संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के कार्यक्षेत्र और विस्तार को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग के हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

xvii. "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (LGSCATSS) के लिए ऋण गारंटी योजना" (एलजीएससीएटीएसएस) के तहत वित्तीय सहायता। इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारक शामिल होंगे। टीटीएस 10.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे जबकि प्रत्येक पर्यटक गाइड 1.00 लाख रुपये तक का ऋण ले सकता हैं। कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा, पुरोबंध/ पूर्व भुगतान

शुल्क की छूट और अतिरिक्त संपार्श्विकता की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा एनसीजीटीसी के माध्यम से संचालित की जाएगी।

xviii. 5 लाख तक मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, वीजा जारी होने के बाद, पहले 5.00 लाख पर्यटक वीजा निःशुल्क जारी किए जाएंगे। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार निःशुल्क वीजा का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, तक लागू रहेगी।

xix. दिनांक 26 अप्रैल 2021 की अधिसूचना के अनुसार, "प्रदर्शन-सह-सम्मेलन केंद्र" को एक फुटनोट के साथ "सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना" की श्रेणी में एक नई वस्तु को सम्मिलित करके अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया है।

xx. 12 नवंबर 2020 को, सरकार ने कोविड-19 स्वास्थ्य लाभ के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

xxi. इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 08.12.2020 को पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जो जनवरी 2021 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीनशूट/ स्टार्ट-अप-एजेंसियों की श्रेणी पहली बार शुरू की जा रही है। यह भारत सरकार की स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित देने की नीति को ध्यान में रखकर किया गया है और यह 'आत्मनिर्भर भारत' के कार्य को भी आगे बढ़ाएगा।

xxii. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटन द्वारा किया जाएगा, मंत्रालय ने 'देखो अपना देश' के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला की व्यवस्था शुरू की। इसका उद्देश्य हितधारकों, छात्रों और आम जनता के बीच रुचि बनाए रखना और साथ ही जागरूकता पैदा करना है।

xxiii. पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों की मान्यता को स्वचालित रूप से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए आवेदन जमा किए हैं, उन्हें आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने तक छह महीने के लिए अनंतिम मान्यता दी गई है।

****